<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एंटीकरप्शन सी0बी0आई0(सेण्ट्रल), लखनऊ।</u>

सी0सी0नं0–1425 / 2018
आर0सी0नं0–15(ए / 2018

राज्य द्वारा सी0बी0आई0 बनाम पी0डी0 साहू व अन्य।

<u>14.02.2020</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र बी–39 अभियोजन स्वीकृति आदेश (ए–40) को स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र बी–39 के माध्यम से कहा गया है कि इस मामले में अभियुक्त पी0डी0साहू ,सेवा निवृत्त आयकर अधिकारी के विरूद्व दिनांक–07.09.2018 को धारा–7 एवं 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि तक पी0डी0साहू सेवानिवृत्त हो गये थे अतः उनके विरूद्व अभियोजन स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी। संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधि0 में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी अभियोजन स्वीकृति आवश्यक कर दिया गया है अतः पी0डी0 साहू के विरूद्व सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त किया गया है। अतः अभियोजन स्वीकृति आदेश को स्वीकार किया जाये।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र बी–39 के विरूद्व आपत्ति बी–43 प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत अभियोजन स्वीकृति आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व में न्यायालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध आदेश पारित किया जा चुका है। सी0बी0आई0 को कोई अधिकार नहीं है कि सी0बी0आई0 किसी भी प्रक्रम पर कोई प्रपत्र प्रस्तुत कर सके। सी0बी0आई0 द्वारा एक तरफ यह कहा जा रहा है कि सेवा निवृत्ति के बाद लोक सेवक के विरूद्व दाण्डिक वाद के लिये किसी अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, वहीं दूसरी ओर अभियोजन स्वीकृति आदेश भी प्रस्तुत किया जा रहा है जो आपस में ही परस्पर विरोधी कृत्य है। अतः अभियोजन पक्ष का प्रार्थना पत्र बी–39 निरस्त किया जाये।

मैने सी0बी0आई0 की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक तथा अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

इस मामले में दिनांक 07.09.2018 के आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। भ्रष्टाचार निवारण अधि0 की पूर्व व्यवस्था में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भ्रष्टाचार निवारण अधि0 में दिनांक 26.07.2018 के संशोधन के पश्चात अब सेवा निवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी अभियोजन स्वीकृति को आवश्यक कर दिया गया है। चूॅकि इस मामले में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.07.2018 के पूर्व पंजीकृत हो चुकी थी और विवेचना प्रचलित थी अतः जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधि0 में संशोधन के पूर्व के प्रावधान ही लागू होंगे । इसी आधार पर दिनांक 07.09.2018 को बिना अभियोजन स्वीकृति के अपराध का संज्ञान

लिया गया था। यद्यपि अपराध को संज्ञान लिया जा चुका है फिर भी यदि सी0बी0आई0 द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रस्तुत किया जा रहा है और उसे पत्रावली पर लेने की अपेक्षा की जा रही है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। प्रार्थना पत्र बी–39 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र डी–39 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र बी–39 के साथ संलग्न अभियोजन स्वीकृति आदेश बी–40 को पत्रावली पर रखा जाये तथा इसकी प्रति यदि अभियुक्त को न दी गयी हो तो इसकी एक प्रति अभियुक्त को दिया जाये। आज कोई साक्षी उपस्थित नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि साक्षी बाहर गया है। तदनुसार अभियोजन पक्ष का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली दिनांक–29.02.2020 को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो।

(एम0 पी0 चौधरी)
विशेष न्यायाधीश, एंटीकरप्शन
सी0बी0आई0 (सेण्ट्रल), लखनऊ।